न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 523/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– भोमसिह पुत्र भंवरसिह 2– खेतसिह पुत्र गणपतसिह जातियान राजपूत निवासीगण सोलंकिया तलां तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर 3– सांगसिह पुत्र सवाईसिह जाति राजपूत निवासी देवराजगढ तहसील शेरगढ जिला जोधपुर 4– पुष्पेन्द्रसिह पुत्र भेरूसिह जाति राजपूत निवासी प्लॉट नंबर 36, न्यू रूप नगर, बी.जे.एस.कॉलोनी, जोधपुर		1– सताराम पुत्र कालूराम 2– जुगताराम पुत्र कालूराम 3– पप्पाराम पुत्र कालूराम 4– बुधाराम पुत्र कालूराम 5– मंगलाराम पुत्र कालूराम 6– हुकमाराम पुत्र फूसाराम समस्त जातियान कुम्हार, निवासीगण सोलंकियांतलां, तहसील शेरगढ जिला जोधपुर 7– रघुवीरसिह पत्र दीपसिह जाति राजपूत निवासी बडोडा गांव तहसील एवं जिला जैसलमेर 8– तहसीलदार शेरगढ जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 15–6–2016 जो अपर जिला कलेक्टर प्रथत जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 40/2015 अनवान सताराम वगैरा बनाम हुकमाराम वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री भूपत सिह जोधा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री जगदीश प्रजापत अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 5 की ओर से ।
3– श्री रूघाराम चौधरी रेस्पो0 संख्या 6 की ओर से ।
4– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 8 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 14–12–2017

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 5 सताराम वगैरा ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम सोलंकिया तला के नामांतरकरण संख्या 1406 स्वीकृति दिनांक12–10–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की । जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15–6–2016 के द्वारा निरस्त कर दिया जाने पर वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांटगण ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्य को दोहराते हुए अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जिस म्युटेशन संख्या 1406 को निरस्त करवाने बाबत प्रथम अपील पेश की थी उक्त अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1406 जो कि सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के राजस्व वाद संख्या 322/02 मे पारित निर्णय दिनांक 6–10–2015 की पालना मे भरा जाकर स्वीकृत किया गया था, जिसे निरस्त करने बाबत पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि उक्त अपीलाधीन म्युटेशन संख्या

1406 न्यायालय सहायक कलेक्टर शेरगढ मे विचाराधीन राजस्व वाद के निर्णय दिनांक 6–10–2015 की पालना मे दिनांक 12–10–2015 को स्वीकृत होने के बाद वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 6 ने बतौर खातेदार अपीलाधीन भूमि का रजिस्टर्ड बेचान अपीलांटगण को कर दिये जाने पर अपीलांटगण के पक्ष मे नामांतरकरण संख्या 1408 दिनांक 20–10–2015 को स्वीकृत हो चुका था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील मे अपीलांटगण को पक्षकार बनाये बिना अपील पेश की तथा अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही मे प्रार्थना पत्र पेश कर पक्षकार बने परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने (क्रेतागण) वर्तमान अपीलांट को सुनवाई का नोटिस जारी किये बिना तथा अपीलांटगण को सुने बिना अपलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांटगण ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही मे यह तथ्य प्रकट हो चुका था कि न्यायालय सहायक कलेक्टर शेरगढ द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध रेस्पो0 ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर मे अपील डिक्री संख्या 75/2015 अनवान सताराम वगैरा बनाम हुकमाराम वगैरा की पेश की, जो विचाराधीन है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1406 को निरस्त करने मे विधिक भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान फार्म नंबर 3 के सलंग्न दस्तावेज पेश कर कथन किया कि रेस्पो. सताराम वगैरा द्वारा उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के न्यायालय मे प्रस्तुत अपील का निर्णय भी दिनांक 23–5–2017 को पारित हो चुका है जिसमे उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को विधिसम्मत मानते हुए उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को खारीज कर दिया जाने पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे द्वितीय अपील रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत की, जो विचाराधीन है।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15–6–2016 को निरस्त करने तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1406 को यथावत रखने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 गण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि हुकमाराम वर्तमान रेस्पो0 संख्या 6 ने उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के समक्ष खातेदारी घोषणा का वाद इस आशय का पेश किया कि वादग्रस्त भूमि मे हुकमाराम के पिता का 1/2 हिस्सा था लेकिन नाम दर्ज नही हुआ । जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ ने प्राथमिक डिक्री दिनांक 6–10–2015 को जारी की गई परंतु डिक्री पंर्चा जारी नही हुआ और न ही अंतिम डिक्री ही जारी हुई थी, इससे पहले ही तहसीलदार शेरगढ ने उक्त म्युटेशन स्वीकृत कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य था । वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि न्यायालय अगर कोई निर्णय या डिक्री पारित करता है तो

नियमानुसार अपीलीय अवधि तक किसी प्रकार का रेकर्ड परिवर्तन नही किया जाना चाहिये परंतु वर्तमान मामले मे इस कानूनी प्रावधान को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाने पर उक्त म्युटेशन के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा खारीज करने का जो आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की इस अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0गण ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1406 स्वीकृत होने के पश्चात हुकमाराम ने बतौर खातेदार अपीलाधीन भूमि का बेचान वर्तमान अपीलांटगण को दिनांक 14–10–2015 को कर दिया जाने से स्वीकृत हुए नामांतरकरण की अपील पृथक से की जा चुकी है ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 5 हुकमाराम स्वयं ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के न्यायालय मे एक राजीनामा पेश किया जिसमे उनके समक्ष प्रस्तुत अपील यदि स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 6–10–15 निरस्त की जाये तो उसे आपत्ति नही होने का तथा अपीलाधीन भूमि पर उसका कोई अधिकार नही होने से यदि अपीलांटगण के नाम वापस राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कर दी जाती है तो रेस्पो0 हुकमाराम को कोई आपत्ति नही होने का प्रस्तुत किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांटगण की यह अपील खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे अपील विचाराधीन होने से उक्त अपील के निर्णय से ही अंतिम निर्णय होना है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1406, अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय तथा वकील अपीलांट द्वारा बहस के दौरान फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया ।

अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 1406 का अवलोकन किया जो कि न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के राजस्व वाद संख्या 322/02 मे पारित निर्णय दिनांक 6–10–15 की पालना मे भरा जाकर स्वीकृत किया गया है, जिसमे प्रथमदृष्ट्यां कोई विधिक त्रुटि नही होना पाया जाता है । वकील अपीलांट द्वारा फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार उापखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 6–10–15 के विरूद्ध रेस्पो0गण सताराम वगैरा द्वारा राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के न्यायालय मे प्रस्तुत अपील को उनके निर्णय दिनांक 23–5–2017 के द्वारा खारीज किया जा चुका है । ऐसे मे उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा पारित

निर्णय आज भी प्रभावी है तथा उक्त निर्णय की पालना मे स्वीकृत म्युटेशन संख्या 1406 के निरस्तीकरण बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन भूमि के रेकर्डेड खातेदार वर्तमान रेस्पो0 संख्या 6 हुकमाराम ने उसके पक्ष मे स्वीकृत हुए नामांतरकरण संख्या 1406 के तुरंत बाद अपीलाधीन भूमि का रजिस्टर्ड बेचान अपीलांटगण के पक्ष मे कर दिये जाने से रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज के आधार पर अपीलांटगण के पक्ष मे म्युटेशन दर्ज होकर राजस्व रेकर्ड मे अपीलांटगण का नाम चला आ रहा था तथा अपीलाधीन भूमि मे रेस्पो0 संख्या 6 हुकमाराम के स्थान पर अपीलांटगण का हित निहित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही मे अपीलांटगण द्वारा पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र पेश करने पर उन्हे पक्षकार रेस्पो0 बनाया गया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय वर्तमान अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा पारित किया गया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15–6–2016 को निरस्त किया जाता है तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1406 ग्राम सोलंकियातलां यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 14–12–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर